न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –2/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00113

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

वनाम

लछेन्द्र आतमज भैरूलाल जाति मेहर निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

—अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बावत् ।

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 17/02/2025

1 प्रकरण के सम्वन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम तेल्याखेड़ी के आराजी खसरा नम्बर 38 रकवा 0.65 हे0, ख0नं0 206 रकवा 1.12 हे0, 218 रकबा 0.51 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस अदम तामिल प्राप्त, गांव में नहीं रहना बताया है । इस पर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट ली गई । मौका रिपोर्ट दिनांक 01.6.2022 अनुसार ग्राम जुल्मी में आवंटी की कोई जानकारी नहीं होना बताया है तथा आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य का कब्जा होना बताया है । अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार को सुना गया ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम तेल्याखेड़ी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्वर 38 रकवा 0.65 हे0, ख0नं0 206 रकवा 1.12 हे0, 218 रकबा 0.51 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । मौका रिपोर्ट दिनांक 01.6.2022 अनुसार ग्राम जुल्मी में आवंटी की कोई जानकारी नहीं होना बताया है तथा आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य का कब्जा होना बताया है इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 38 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 206 रकबा 1.12 हे0, 218 रकबा 0.51 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम तेल्याखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 206 रकबा 1.12 हे0, 218 रकबा 0.51 हे0 भूमि अप्रार्थी को आवंटन की गई थी । आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा